

**संघ लोक सेवा आयोग  
(भर्ती नियम शाखा)**

फाइल संदर्भ सं.-----

डायरी सं.-----तथा तारीख-----

मामलों के संचालक अधिकारी का नाम :-----

**सं.लो.से.आ. को भ.नि. प्रस्तावों को भेजने की जांच सूची**

नई क्रम सं.	विवरण	विभाग का उत्तर		
1	क्या प्रस्ताव भर्ती नियम बनाने के संबंध में है ?			
(क)	क्या पद के सृजन संबंधी आदेश संलग्न हैं ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ख)	क्या अनुबंध-II की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ग)	क्या एकबारगी उपाय के रूप में आयोग से परामर्श करके पद के लिए भर्ती की पद्धति के बारे में कभी निर्णय लिया गया ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(घ)	यदि हां, कृपया संघ लोक सेवा आयोग के उस पत्र की संदर्भ सं. तथा तारीख का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत मंत्रालय को आयोग का अनुमोदन भेजा गया ।			
(ड.)	यदि पद एक वर्ष से अधिक पहले सृजित किया गया था तो क्या यह विवरण जोड़ा गया है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि पद को उसके सृजन से अब तक किस प्रकार चालू रखा गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
2	यदि प्रस्ताव वर्तमान भर्ती नियमों में संशोधन के लिए है :-			
(क)	क्या वर्तमान भर्ती नियमों की प्रति संलग्न की गई है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ख)	क्या अनुबंध-III की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ग)	क्या भ.नि. के संशोधन के लिए कारण निर्दिष्ट किए गए हैं ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(घ)	क्या पद पर भर्ती निष्फल हो गई है या अतीत में भर्ती में कठिनाई आई है और यदि ऐसा है तो क्या यह वर्तमान भर्ती नियमों के किहीं उपबंधों के कारण हुआ था ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ड.)	यदि हां, तो क्या इस प्रकार के निष्फल मामलों के संबंध में विवरण उपलब्ध कराया गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं

(च)	क्या आयोग की पिछली संदर्भ सं. का उल्लेख किया गया है ?	हां	नहीं	
3	क्या प्रस्ताव, भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक, एकबारगी उपाय के रूप में भर्ती की पद्धति के निर्णय के संबंध में है :-			
(क)	क्या सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ख)	क्या पद के लिए भर्ती नियमों को बनाने संबंधी स्थिति का उल्लेख किया गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ग)	यदि एस ए जी स्तर के पद को भरने के लिए एकबारगी भर्ती प्रस्तावित है तो क्या पदों को भरने के लिए ए सी सी तथा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन की प्रतियां संलग्न की गई हैं ?	हां	नहीं	लागू नहीं
4	क्या मसौदा 13 कॉलम अनुसूची संलग्न है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
5	क्या अधिसूचना को शामिल करने वाला मसौदा संलग्न है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
6	यदि प्रस्ताव किसी मंत्रालय/ विभाग से है :-			
(क)	क्या प्रस्ताव कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से अनुमोदित है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ख)	क्या कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से आदान प्रदान की गई नोट्स की प्रतियां संलग्न हैं ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ग)	क्या प्रस्ताव को भारत सरकार के मंत्रालय/ विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(घ)	यदि 'ग' का उत्तर हां है तो किसके द्वारा : प्रभारी मंत्री/ मंत्रालय में सचिव/ संयुक्त सचिव ? (कृपया कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र के खंड सं.2.1.1 का संदर्भ लें)			
7	यदि प्रस्ताव संघशासित क्षेत्र से है :-			
(क)	क्या भर्ती नियमों को तैयार करना/ संशोधन करना संघशासित क्षेत्र के प्रशासक/ उप राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत है ?			
(ख)	यदि नहीं, तो क्या प्रस्ताव को नॉडल मंत्रालय के माध्यम से अग्रेषित किया गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
8	यदि प्रस्ताव संघशासित प्रदेश या किसी सांविधिक निकाय से है तो क्या यह प्रमाणित किया गया है कि प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
9(क)	क्या भर्ती नियमों, को किसी न्यायालय/ अधिकरण के निर्णय/ निर्देशों को लागू करने के लिए बनाया/ संशोधित किया जा रहा है ?	हां	नहीं	लागू नहीं

(ख)	क्या कोई न्यायालयी मामला शामिल है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ग)	क्या अदालती मामले(लों) का विवरण संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार दिया गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
10	क्या पद से संबंधित कार्यों का विस्तृत विवरण संलग्न है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
11	क्या फीडर पद से संबंधित कार्यों की विस्तृत सूची संलग्न है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
12	क्या पदानुक्रम में पदनाम, वेतनमान तथा पदानुक्रम में प्रत्येक पद की संस्वीकृत संख्या को दर्शाने वाला चार्ट संलग्न है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
13	यदि भर्ती की पद्धति के रूप में पदोन्नति प्रस्तावित की गई है, तो क्या फीडर पद के वर्तमान भर्ती नियमों के साथ-साथ पदानुक्रम में अन्य निम्न पदों के वर्तमान भर्ती नियमों को प्रस्तुत किया गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
14	क्या पदोन्नति के साथ-साथ "ऐसा न होने की स्थिति में" शर्त के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति का भी प्रस्ताव रखा गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
15	यदि पद/ फीडर पद को पुनः पदनामित किया गया तो क्या पद के पुनः पदनाम से संबंधित आदेश की प्रति संलग्न है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
16	यदि पद या फीडर पदों की संख्या में कोई अंतर है तो क्या पदों के सृजन/ समाप्ति संबंधी आदेश, जैसा भी मामला हो, की प्रतियां संलग्न की गई हैं ?	हां	नहीं	लागू नहीं
17	यदि पद या फीडर पदों के वेतनमान में कोई अंतर है तो क्या वेतनमान को अपग्रेड करने संबंधी आदेश की प्रतियां संलग्न हैं ?	हां	नहीं	लागू नहीं
18(क)	क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति पद के लिए प्रस्तावित शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव पद से संबंधित कार्यों तथा दायित्वों के अनुरूप हैं ?	हां	नहीं	लागू नहीं
18(ख)	क्या निर्धारित आयु सीमा नियमानुसार है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
18(ग)	जहां केवल सीधी भर्ती का प्रावधान है तो क्या भर्ती नियमों में अल्पकालीन आधार पर रिक्तियों के भरे जाने का प्रावधान है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
19	क्या पदोन्नति के साथ-साथ इसके न होने की स्थिति में, प्रस्तावित सीधी भर्ती नियमानुसार है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
20	क्या सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति के लिए प्रस्तावित शैक्षिक योग्यताएं किसी अधिनियम में निर्धारित मानकों के अनुसार हैं या किसी सांविधिक निकाय (उदाहरणार्थ :	हां	नहीं	लागू नहीं

	विश्व.अनु. आयोग, ए आई सी टी ई) द्वारा नियत की गई है ?			
21	क्या कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2010 के दिशा-निर्देशों के पैरा-3.8.1 के अनुसार सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति आधार पर पदों को भरे जाने के लिए शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में 'या समकक्ष' की शर्त को छोड़ दिया गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
22(क)	यदि सीधी भर्ती की अ.यो. को संशोधित किया जा रहा है और इन्हें पदोन्नति मामलों में भी लागू किया जाना है तो क्या फीडर ग्रेड में पदधारकों के लिए रक्षोपाय किए गए हैं ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ख)	क्या दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य योग्यताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ग)	क्या सीधी भर्ती के लिए अ.यो. पदोन्नति में लागू होंगी (उपर्युक्त वरिष्ठ समय वेतनमान में वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों के लिए) ?	हां	नहीं	लागू नहीं
23(क)	क्या पदोन्नति का कोटा नियमानुसार है ? (कृपया कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र के खंड 3.11.2 का संदर्भ लें)	हां	नहीं	लागू नहीं
(ख)	यदि नहीं, तो क्या उच्च पदोन्नति कोटा के लिए कारणों का उल्लेख किया गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ग)	क्या उन मामलों में सम्मिलित पद्धति का प्रस्ताव रखा गया है जिनमें फीडर ग्रेड की संख्या केवल एक है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(घ)	क्या फीडर पद तथा अगले निम्न पद में पदोन्नति हेतु संयुक्त नियमित सेवा की गणना का प्रस्ताव किया गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ड.)	यदि हां, तो क्या कारण दर्शाए गए हैं ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(च)	इस आशय का प्रमाण पत्र कि फीडर पद में पदोन्नति की अन्य कोई संभावनाएं नहीं हैं ?	हां	नहीं	लागू नहीं
24(क)	क्या कॉलम(11) के अंतर्गत पदोन्नति के लिए पात्रता शर्तों का उल्लेख करते समय पद से संबंधित कार्यों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के प्रावधान का उल्लेख किया गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ख)	यदि नहीं, कारण प्रस्तुत करें ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ग)	यदि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा बढ़ाने का प्रस्ताव है तो क्या कॉलम(11) के अंतर्गत फीडर ग्रेड के पदधारकों के लिए वर्तमान पात्रता सेवा बनाए रखने की शर्तों को शामिल किया गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
25(क)	यदि भर्ती की पद्धति के रूप में प्रतिनियुक्ति प्रस्तावित	हां	नहीं	लागू

	है तो क्या प्रस्तावित प्रतिनियुक्ति का क्षेत्र शर्तों के अनुसार है ?			नहीं
25(ख)	क्या अल्पकालीन संविदा को भी शामिल किया गया है ?	हां	ना	लागू नहीं
25(ग)	क्या 'इसके असफल होने की स्थिति में' शर्त के अंतर्गत पदोन्नति के साथ प्रतिनियुक्ति निर्धारित की गई है ?	हां	ना	लागू नहीं
26(क)	यदि सशस्त्र सेना (ए एफ पी) के कार्मिकों के लिए पुनः नियुक्ति प्रस्तावित है तो क्या सशस्त्र बलों के कार्मिकों का रैंक दर्शाया गया है ?	हां	ना	लागू नहीं
(ख)	क्या आमेलन को भर्ती की पद्धति के रूप में शामिल किया गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ग)	यदि ऐसा है तो क्या यह व्यवस्था की गई है कि केवल केन्द्र/ राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(घ)	क्या कॉलम(13) में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि आमेलन पर विचार करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना अनिवार्य होगा ?	हां	नहीं	लागू नहीं
27(क)	क्या सीधी भर्ती प्रस्तावित है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ख)	यदि हां, तो क्या सीधी भर्ती के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं ?	हां	नहीं	लागू नहीं
28(क)	यदि सशस्त्र सेना बलों के कार्मिकों की सीधी भर्ती/ आमेलन/ पुनः रोजगार को भर्ती की पद्धति के रूप में शामिल किया गया है तो क्या विभागीय पुष्टि समिति के गठन को विनिर्दिष्ट किया गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
28(ख)	विभागीय पदोन्नति समिति के गठन की सूचना दे दी गई	हां	नहीं	लागू नहीं
29(क)	क्या प्रस्ताव में गुप 'ख' अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती को शामिल किया गया है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
(ख)	यदि हां, तो कृपया भर्ती करने वाली एजेंसी के नाम का उल्लेख करें			
(ग)	यदि भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के अलावा किसी अन्य एजेंसी द्वारा कराई गई है तो क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ?	हां	नहीं	लागू नहीं
30	ड्राफ्ट भर्ती नियम, संबंधित मंत्रालय / विभाग की वेबसाइट पर 30 दिन के लिए सम्बंधित पक्षों की टिपण्णी हेतु अपलोड कर दिया गया है, इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है।	हां	नहीं	लागू नहीं

